न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 82/2019

उनवान

कर्म सिंह पुत्र भीम सिंह जाति रावत निवासी रामगढ, तहसील रायपुर जिल पाली हाल निवास जाला की चौकी (जोड) सैन्दडा तह0 रायपुर जिला पाली
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री उगम सिंह रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 सपठित धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 14.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के वंर्किग खसरा नम्बर 1104 रकबा 1–10–10 के मूल खातेदार मोहन व सुवा पि0 किशना कौम बाबर थे उक्त खातेदारों से प्रार्थी ने दिनांक 14.01.91 को पूर्ण प्रतिफल राशि देकर भूमि कय कर ली तथा मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया। कय दिनांक से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा नामान्तकरण संख्या 174 दिनांक 17.12.90 से उक्त आराजी मूल खातेदार अनिल गोयल पुत्र ओमप्रकाश गोयल, रूकमणी गोयल पत्नी ओमप्रकाश गोयल 1/2 हिस्सा, मोहन पिता किशना कौम बाबर 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज हुयी। प्रार्थी ने उक्त हिस्सा भी दिनांक 9.5.91 को जरियें पंजीकृत विकय पत्र कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया। उक्त विकय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 19.08.92 से आराजी मुतनाजा प्रार्थी के नाम दर्ज की गयी। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 1101 को बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः हाल खसरा नम्बर 1101 रकबा 0.25 की आराजी पर प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 174/17.12.90 की प्रतिलिपि पत्रावली में पेश नही की है। हाल खसरा नम्बर 1101 रकबा 0.25 सिवायचक हो से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वंर्किग खसरा नम्बर 1104 रकबा 1–10–10 पूर्व राजस्व अभिलेख में मूल खातेदार मोहन, सुवा पि0 किशना के नाम खातेदारी दर्ज था। नामान्तकरण संख्या 174 दिनांक 17.12.90 द्वारा उक्त आराजी अनिल गोयल पुत्र ओमप्रकाश गोयल, रूकमणी गोयल पत्नी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

ओमप्रकाश गोयल 1/2 हिस्सा, मोहन पिता किशना कौम बाबर 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज हुयी। राज0 पैरोकार का कथन है कि प्रार्थी ने नामान्तकरण संख्या 174 पेश नही किया है किन्तु उक्त नामान्तकरण का राज0 पैरोकार द्वारा कोई खण्डन प्रस्तुत नही किया गया है। साथ ही उक्त नामानतकरण का वर्किंग जमाबंदी में अमल भी हो चुका है। प्रार्थी ने अलग-अलग दो विक्रय पत्रों द्वारा उक्त आराजी में मूल खातेदार का हिस्सा विधिक रूप से क्रय किया है। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 19.8.92 से उक्त आराजी का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज हुआ। वर्किंग जमाबंदी में उक्त नामान्तकरण का भी विधिवत अमल दरामद किया गया। नामन्तकरण संख्या 402 के कालम संख्या 7 में भी पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 174 का हवाला दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र वंर्किग जमाबंदी व नामान्तकरण द्वारा आराजी मुतनाजा उसकी क्रयशुदा सिद्व होती है। हाल राजस्व अभिलेख में किस आदेश अथवा नामान्तकरण से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज हुयी है, राज0 पैरोकार ने स्पष्ट नही किया है। उक्त वंर्किग जमाबंदी में समस्त इन्द्राज नामान्तकरण से ही अंकित किये गये है। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के क्रय व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रार्थी उक्त आराजी पर इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।

अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1101 रकबा 0.25 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता हैं उक्त आराजी पर प्रार्थी को खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested